संख्या-24/2019/434/36-2-2019/251(एस0एम0)/95-टी0सी0-।।

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2019**

विषय- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के प्रस्तर-3 (पात्रता) में संशोधन-संदर्भ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9145/भ0नि0बो0(86-ए-7)-2019, दिनांक 15-03-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना एवं अक्षमता पेंशन योजना के प्रस्तर-3 (पात्रता) में "परन्तु ऐसे निर्माण श्रमिक जिनकी किसी दुर्घटना में कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है एवं दुर्घटना में मृत्यु की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा जिला प्रशासन/पुलिस विभाग/श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में मृतक श्रमिक के पंजीकृत न होने की स्थिति में भी उसके आश्रितों को तात्कालिक सहायता के रूप में रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा प्रदान की जायेगी।" को त्रुटिवश उल्लिखित नहीं किया गया है जिसे बोर्ड की 31वीं बैठक दिनांक 25-08-2015 में लिये गये निर्णय के आधारपर शासन के पत्र संख्या-278/36-2-2017, दिनांक 16-05-2017 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। उक्त का उल्लेख कर निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना एवं अक्षमता पेंशन योजना के प्रस्तर-3 (पात्रता) में संशोधन किये जाने का निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये अनापत्ति प्रदान दिये जाने का अनुरोध किया गया है :-

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
प्रस्तर-3 पात्रता	**इस योजना के लाभार्थी को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। लाभार्थी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रित पात्रता से आवर्त होंगे। आश्रित से तात्पर्य पारिवारिक पति/पत्नी, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क पुत्रों व मृतक श्रमिक पर निर्भर माता/पिता से है। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु को दुर्घटना के फलस्वरूप**	**इस योजना के लाभार्थी को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। लाभार्थी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रित पात्रता से आवर्त होंगे। आश्रित से तात्पर्य परिवार के पति/पत्नी, (जैसी भी स्थिति हो), अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क पुत्रों व मृतक श्रमिक पर निर्भर माता/पिता से है।** **परन्तु ऐसे निर्माण श्रमिक जिनकी किसी दुर्घटना में कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है एवं दुर्घटना में मृत्यु की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा जिला प्रशासन/पुलिस विभाग/श्रम**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	मृत्यु माना जायेगा। इसके अतिरिक्त अक्षमता पेंशन योजना हेतु प्रतिबन्ध यह होगा कि :- **1- लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो।** **2- पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो (अक्षमता पेंशन)।** **3- इस योजना के अन्तर्गत लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं उपरोक्तानुसार अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा।**	**विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में मृतक श्रमिक के पंजीकृत न होने की स्थिति में भी उसके आश्रितों को तात्कालिक सहायता के रूप में रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा प्रदान की जायेगी। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु माना जायेगा। इसके अतिरिक्त अक्षमता पेंशन योजना हेतु प्रतिबन्ध यह होगा कि :-** **1- लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो।** **2- पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो (अक्षमता पेंशन)।** **3- इस योजना के अन्तर्गत लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं उपरोक्तानुसार अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा**

2- उक्तानुसार संदर्भित योजना के प्रस्तर-3 (पात्रता) में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड की 42वीं बैठक दिनांक 06-09-2019 में बोर्ड द्वारा सहमति दी गयी है। अतः उक्तानुसार संशोधन पर इस शर्त के साथ अनापत्ति दी जाती है कि बोर्ड योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा संगत नियमावली-2009 का अनुपालन पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पूर्णतः सुनिश्चित करेगा।

कृपया उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में शासन का कोई दायित्व नहीं होगा और न ही इस हेतु कोई वित्तीय सहायता वर्तमान एवं भविष्य में दी जायेगी।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-24/2019/434(1)/36-2-2019, तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजीज अहमद
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in